



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज) 1347

क्रमांक एफ 2()परावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/स्टे/पिण्डवाडा/2018/ जयपुर, दिनांक 16-5-18

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 802 दिनांक 14.3.2018 द्वारा श्री मनहर विश्नोई, RRDS, को आदेशों की प्रतीक्षा से विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही में कार्यरत श्री राजेन्द्र कुमार के स्थान पर पदस्थापित किया जाकर श्री राजेन्द्र को पंचायत समिति राश्मी जिला चित्तौडगढ पदस्थापित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 20.3.18 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। जिसके कारण उक्त दोनों अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक 802 दिनांक 14.3.18 को विधि एवं विधिक कार्य विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रानुसार तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त अधिकारी पूर्ववत कार्यरत स्थान/आदेशों की प्रतीक्षा में ही अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (विधि), मुख्यालय को SBCWP 4048/2018 श्री राजेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार के क्रम में।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर/उदयपुर।
8. जिला कलेक्टर, सिरोही/चित्तौडगढ।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही/चित्तौडगढ।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा/राश्मी।
11. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
12. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
13. आदेश पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)